पत्र संख्या–1 / प्रा0आ0–0–3–49 / 2018......64....... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु

अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

भागलपुर / गया / सारण।

पटना–15, दिनांक– 24/12/18

विषयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010010 में ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित / पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुश्शीर्ष /उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष–101 आनुग्रहिक राहत। माँग संख्या–39

उपशीर्ष –0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान।

विस्तृत शीर्ष– 37 –अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष –01–अनुग्रह अनुदान

क्र०	जिला	पूर्व आवंटन (रु0 लाख मे)	वर्तमान आवंटन (रु0 लाख मे)	योग (रु0 लाख मे)
1.	2.	3.	4.	5.
1	भागलपुर	1.50 (एक लाख पचास हजार)	1.50 (एक लाख पचास हजार)	3.00 (तीन लाख)
2	गया	1.50 (एक लाख पचास हजार)	1.50 (एक लाख पचास हजार)	3.00 (तीन लाख)
3	सारण	0.00 (शून्य)	1.50 (एक लाख पचास हजार)	1.50 (एक लाख पचास हजार)
कुल योग		3.00 (तीन लाख)	4.50 (चार लाख पचास हजार)	7.50 (सात लाख पचास हजार)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–971 दिनांक–11.12.18 / गया के पत्रांक 3959 दिनांक 06.12.18 / सारण के पत्रांक 748 दिनांक 03.09.18 द्वारा की गई अधियाचना, उपलब्ध बजट उपबंध एवं **विभागीय संकल्प संख्या–2203 / आ0प्र0 दिनांक 11.07.2012 के आलोक में दिनांक 01.04.2009 के बाद घटित वज्रपात की घटनाओं में मृत व्यक्तियों** हेतु निर्गत किया जा रहा है।

5. **संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त वज्रपात से मृत व्यक्ति के आश्रितों को प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्ति के आश्रितों को देय राशि के समतुल्य राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।** किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. विभागीय पत्रांक 4310 / आ0प्र0 दिनांक 11.12.18 (विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध) द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में उक्त अनुग्रह अनुदान की राशि PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधे आपदा पीड़ितों के खाते में हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी

प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0 (2)/ दिनांक–17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/12/18

अपर सचिव

ज्ञापांक–64/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 24/12/18

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/12/18

अपर सचिव

ज्ञापांक–64/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 24/12/18

प्रतिलिपिः संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

अपर सचिव

ज्ञापांक–64/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 24/12/18

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

अपर सचिव

ज्ञापांक –64/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 24/12/18

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/12/18

अपर सचिव

ज्ञापांक–64/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 24/12/18

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

अपर सचिव